न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 410/2016

1. हजारी लाल पुत्र कन्हैया लाल (मृत)

1/1. बिमला देवी पत्नि स्व0 हजारी लाल

1/2. अशोक कुमार

1/3. मुकेश कुमार

1/4. पवन कुमार

1/5. हंसराज

1/6. सतीश कुमार

1/7 शकुन्तला देवी पुत्री स्व0 हजारी लाल

समस्त जाति डाकोत ज्योतिषी निवासी–ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

–/अपीलांट्स–

बनाम

1. माली राम पुत्र श्री सोहन लाल मीणा
2. यतीश कुमार पुत्र श्री अुर्जन लाल
3. सुल्तान पुत्र सोहन लाल

समस्त जाति मीणा निवासी– ग्राम सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर

–रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण–

4–लीलू सिंह पुत्र श्री बचन सिंह

5–विजय सिंह पुत्र दशरथ सिंह

6– गोविन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी–ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर

7–महेन्द्र कुमार

8–औम प्रकाश

9–सन्तोष

10– कैलाश

पुत्रान रामकरण जाति महाजन समस्त निवासी–ग्राम मैड तहसील विराटनगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

11–किशन सिंह पुत्र श्री उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी–ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री राकिशोर यादव अपीलांट्स की ओर से।

2– श्री ज्ञानेश्वर बाढदार रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–05–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016, मुकदमा नं. 110/2016, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलेक्टर विराटनगर बउनवानी प्रकरण माली राम वगैरह बनाम लीलू सिंह वगैरह प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधिनस्थन्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि संयुक्त खातेदारी भूमि वाके मैड तहसील विराटनगर खाता सख्या–931 कुल किता 11 कुल रकबा 1.83 हैक्टैयर स्थित है। उक्त भूमि में वादी सख्या 1व 2 हिस्सा 8767/18300 तथा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 7429/18300 तथा प्रतिवादी सख्या 7 लगायत 11 का हिस्सा 2104/18300 स्थित है।खाता सख्या 1024 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रतिवादी सख्या 12 का खसरा नम्बर 3460 रकबा 0.15 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा तथा वादी सख्या 1 लगायत 2 एवं प्रतिवादी सख्या 13 का खसरा नम्बर 3460 एवं 5937/3457 में 1/2–1/2 हिस्सा स्थित हैं।वाद–पत्र में आगे कथन किया गया कि वादी सख्या 1 लगायत 3 की कब्जे काश्त की भूमि बांहमी बंटवारे में खसरा नम्बर 3421 रकबा 0.67 हैक्टैयर संपूर्ण, खसरा नम्बर 3458 रकबा 0.28 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नम्बर 3453 रकबा 0.09 हैक्टेयर संपूर्ण एवम खसरा नम्बर 5937/3458 में से 0.36 हैक्टेयर यानि वादी सख्या 1 लगायत 3 की कुल खातेदारी की भूमि रकबा 1.40 हैक्टैयर भूमि पर काबिज काश्त है जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।वादीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3421 में बोरिंग का निर्माण करवाकर बिजली कनैक्शन भी ले रखा है तथा अपनी फसल की सिचाई करते है।इसी प्रकार से शेष पर प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर खेती करते है।उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है तथा भूमि का विधिवत विभाजन करवाना जाना आवश्यक होने से दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि को अलग से विभाजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016 द्वारा अपीलधीन आदेश पारित कर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलान्टस द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24—06—2016 विधि एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई तलबी व जवाब के स्टेज पर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत है।न्यायालय द्वारा संपूर्ण भूमि का बंटवारा नहीं किया गया है।पक्षकारों को मौका रिपोर्ट के समय सूचना नहीं दी गई है तथा पक्षकारों की कोई हस्ताक्षर नहीं है।तहसीलदार विराटनगर द्वारा मौके पर जाकर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है।मौका रिपार्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जो राजस्व मण्डल के नियमों के विपरीत है उक्त रिपोर्ट में संपूर्ण भूमि एवं रास्ते आदि के बारे में कोई अंकन नहीं किया गया है।अपीलान्टस द्वारा उक्त आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा भूमि का विभाजन राजस्व मण्डल के नियमों के अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंटस को तलब किया जाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलान्टस की अनुपस्थित में रिपोर्ट तैयार की गई है। संपूर्ण भूमि का कोई विभाजन नहीं हुआ है। दिनांक 25—5—2016 से सीधे ही पत्रावली दिनांक 3—6—2016 को कैम्प में रखी जाकर निर्णय किया गया है तथा कुर्रेजात भी तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं करवाया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। खाता सख्या 1024 का कोई बंटवारा नहीं किया गया है तथा राजस्व मण्डल के नियमों की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपीलाधीन निर्ण्राय व डिक्री निरस्त किये जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

6—अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलान्टस को भी उनके कब्जे अनुसार भूमि दी गई है। खसरा नम्बर 3460 में अपीलान्टस एवं उनके भाई के द्वारा मकान निर्मित किये हुये है तथा अन्य का कोई संबंध नही है।अपीलान्टस को समुचित अवसर प्रदान किये गये है परन्तु उनके द्वारा वाद—पत्र में अंकित तथ्यों का कोई प्रतिरोध जवाब दावे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है। लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने के लिये नियमानुसार नोटिस प्रेषित किये गये है जो अपीलान्ट पर तामील हुऐ है। अपीलान्ट द्वारा अपील अनुचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

7—उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनरस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनपस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा दावा बाबत विभाजन प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में स्थित अपने

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कब्जे काश्त संबंधी उल्लेख करते हुए राजस्व नक्शे में कब्जा काश्त को पीले रंग से दर्शाकर संलग्न किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट प्रतिवादी सख्या 13 है। अपीलान्टस की तरफ से दिनांक 15–8–2015 को श्री अवधेश कुमार शर्मा द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया है।उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 3–6–2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने तक अनेक पेशियॉ पत्रावली में दी गई है परन्तु अपीलान्ट सख्या 13 द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने बाबत भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये है जो पत्रावली में उपलब्ध है। पत्रावली के पृष्ठ सख्या 72 पर अपीलान्ट को जारी किया गया नोटिस उपलबध है जो स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्राप्त किया गया है।इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा पत्रावली को बिना सुचना दिये लोक अदालत कैम्प में रखा गया है, अनुचित है।दिनांक 24–6–2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उक्त दिवस की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि उभयपक्ष मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट बंटवारा किये जाने पर सहमत है।अधिनस्थ न्यायालय की उक्त टिप्पणी को बिना किसी आधार पर असत्य नहीं कहा जा सकता है जबकि अपीलान्ट को विधिवत तामील हुई हो एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हों। यहॉ तक कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में जो आधार लिये गये है वे या तो मिथ्या है अन्यथा वे मात्र तकनीकी है। अपीलान्टस द्वारा एक भी कथन अपनी अपील मीमों में इस संबंध में नहीं किया गया है कि वे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किये गये विभाजन से क्योंकर पीडित है।इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील बिना किसी विधिक एवं तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत की गई है जो मात्र प्रकरण को लम्बित किये जाने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन से अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 05–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर